प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लेन–देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में ऐसे मामले उल्लिखित हैं, जो कि 2012-13 में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। साथ–साथ पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित मामले भी जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था तथा 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से प्राप्त सहयोग के लिये आडिट आभार प्रकट करता है।